

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2024/153

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा  
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई

मुकदमा नम्बर :- 91/2024 (सुनीलचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार वगैरह)

निर्णय दिनांक :- 18.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरू, पंकज शर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रुबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.12.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम लुणा स्थित भूमि ख0न0 100,106, 96, 97, 98, 99 कुल किता 6 कुल रकबा 9.07 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सुनिल कुमार पत्नी राम चन्द्र के बजाय सही एवं वास्तविक नाम सुनील चन्द्र पुत्र राम चन्द्र तथा संजय कुमार पत्नी राम चन्द्र के स्थान पर संजय कुमार पुत्र राम चन्द्र दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दपतर हो।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 18.12.2024 को जारी की गई।



५०१  
(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर